प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सागर मोदनवाल पुत्र स्व० तुलसी प्रसाद, निवासी जनपद-वाराणसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी सागर मोदनवाल पुत्र स्व० तुलसी प्रसाद (दिनांक 25.06.2023 तक बन्दी की आयु 28 वर्ष 04 माह 04 दिन) ग्राम-कादीपुर इन्द्रपुर, थाना-शिवपुर, जनपद-वाराणसी का निवासी है। दहेज की मांग को लेकर दिनांक 02/03.05.2017 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जलाकर 01 महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 222/2017 में भा०द०वि० की धारा-498ए, 304बी व 4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं**0-**12, वाराणसी द्वारा दिनांक 07.07.2018 द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 25.06.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 04 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 04 माह, 09 दिन की मात्र सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस आयुक्त, वाराणसी द्वारा भविष्य में अपराध करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से बाहर आने पर पुनः अपराध कारित कर सकने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी की 28 वर्ष, 04 माह, 04 दिन की आयु एवं 10 वर्ष सश्रम कारावास के सापेक्ष दिनांक 25.06.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 04 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 04 माह, **09** दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सागर मोदनवाल (बन्दी संख्या-59/2019) पुत्र स्व० तुलसी प्रसाद, निवासी जनपद-वाराणसी की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-264/2026/1891 (1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

2- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।